Search Contest was organised in Delhi in November, 1985;

(b) how many boys and girls representing different States/Union Territories took part in the contest;

(c) how many of them were selected for further grooming;

(d) what criterion was accepted for their selection;

(e) what is the break up of events and participants selected therefor; and

(f) whether any schedule has been drawn for further grooming?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN'S WELFARE (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (f) The Sports Authority of India held the first National Sports Talent Contest in Delhi from 14th to 19th November, 1985. A total of 1018 boys and 455 girls from different States and Union Territories took part in the contest. Out of the participants, 93 boys and 65 girls were selected for further coaching. Selection was made by the Sports Authority of India on the basis of performance. The boys and girls selected are to be admitted in schools to be adopted by the Sports Authority of India in which stress will be laid on the nurturing of their sports talent.

The sports disciplines and the number of boys and girls selected as a result of the contest are indicated in the table given below:—

Sl. No.	Name of the sports discipline	No. of boys selected	No. of girls selected	Total
1	Athletics	15	15	30
2	Swimming	12	12	24
3	Gymnastics	6	6	12
4	Badminton	8	8	16
5	Football	16	..	16
6	Hockey	16	16	32
7	Table-Tennis	8	8	16
8	Wrestling	12	..	12
	TOTAL	93	65	158

रेलवे द्वारा इस्तेमाल किए हुये कोयले की बिक्री

2430. **श्री हुकमदेव नारा[illegible]:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने [illegible] करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग द्वारा मन्डलवार इस्तेमाल किये हुए कितने रुपये मूल्य के कोयले की बिक्री की गई और किन स्थानों में उन्हें बेचा गया तथा यह बिक्री किस आधार पर की गयी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) जला हुआ कोयला, जिसे रेलवे की भाषा में सिंडर कहा जाता है, लोको शेडों में स्थित राख गर्तों में तथा निर्दिष्ट फायर क्लीनिंग स्टेशनों यार्डों में भाप रेल इंजनों द्वारा गिरायी गयी राख से चना जाता है ।

अस्पतालों, कर्मचारी कैंटीनों, विश्राम कक्षों, आदि जैसी संस्थापनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद, शेष बचे सिंडर को "न लाभ न हानि" के आधार पर आंकी गयी मामूली दरों पर रेल कर्मचारियों को बेच दिया जाता है।

सिंडर उन लोको शेडों/स्टेशनों यार्डों में बेचा जाता है जहां इनकी छंटाई की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा बेचे गये सिंडर का मूल्य जोन-वार नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

रेलवे	बेचे गये सिंडर का मूल्य 1982-83	1983-84	1984-85
मध्य	11.54	15.64	15.91
पूर्व	0.92	0.88	0.82
उत्तर	18.83	18.67	17.15
पूर्वोत्तर	6.39	7.22	6.94
पूर्वोत्तर सीमा	0.39	1.30	0.35
दक्षिण	0.78	0.67	0.60
दक्षिण मध्य	3.71	4.32	3.26
दक्षिण पूर्व	3.30	4.23	4.71
पश्चिम	6.05	12.60	12.98

रेलवे द्वारा स्क्रैप की बिक्री

2431. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**
श्री भगवती प्रसाद यादव :

क्या परिवहन मंत्री 20 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 392 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेची गयी स्क्रैप की सबसे अधिक कीमत देने वाले के टेंडर अस्वीकृत कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे लोगों को माल की बिक्री की गयी जिन्होंने आयकर और बिक्री कर विभागों से "अनापत्ति नहीं" प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) स्क्रैप सामग्री (i) सार्वजनिक टेंडर (ii) सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाती है। टेंडर द्वारा बिक्री के मामले में सबसे अधिक बोली देने वाले टेंडरदाता का टेंडर रद्द किये जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(1) यदि कोई टेंडरदाता टेंडर शर्तों में उल्लिखित अपेक्षित अग्रिम धनराशि जमा नहीं कराता है तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(2) यदि टेंडरदाता ने अंतरण पत्र/कार्य निष्पादन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है।

(3) यदि टेंडरदाता ने टेंडर की शर्तें स्वीकार न की हों और प्रत्युत्तर में अपनी स्वयं की शर्तों का उल्लेख किया हो, तो उसका टेंडर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(4) विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में सबसे अधिक बोली देने वाले बोलीदाता की बोली सामान्यतः रद्द नहीं की जाती है बशर्ते वह स्वीकार्य सुरक्षित मूल्य से कम न हो।

(ख) नीलामी द्वारा बिक्री अथवा टेंडर बिक्री के मामले में बोलीदाताओं का बिक्री-कर विभाग से पंजीकरण होना पूर्वापेक्षित नहीं है। बोलीदाताओं को बेची गई सामग्री के लिए उनसे देय बिक्री-कर इकट्ठा कर लिया जाता है तथा राशि सम्बद्ध राज्य के बिक्री क